उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 99/2022 दर्ज दिनांक 28.11.2022

जी सी एम एस न0 2022/1103 निर्णय दिनांक 28.04.2023

कजोड़मल पुत्र नारायण राम जाति रैगर निवासी वार्ड संख्या 2 गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

भूमि धारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी। जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 28.04.2023**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट प्रशासन गांवों के संग अभियाजन 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई है। प्रार्थी ने कैम्प पोषाणा में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम बासडी पटवार हल्का पोषाणा के खसरा न. 681/7 रकबा 2.005 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि आवेदक के पिता नारायण राम की सहखातेदारी भूमि थी उसकी मृत्यु के बाद सहखातेदारी में आवेदक के नाम से दर्ज हो गई तथा आवेदक के पिता राजस्व रिकॉर्ड में कर्मचारियों की गलती वजह से नारायण राम की जगह नारान दर्ज हो गया। आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद आवेदक के पिता का नाम कजोड़मल पुत्र नारायणराम के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जाना था लेकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कजोड़मल पुत्र नारान दर्ज हो गया। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में कजोड़मल पुत्र नारायण राम दर्ज है अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कजोड़मल पुत्र नारान की जगह कजोड़मल पुत्र नारायण राम किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त।

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प पोषाणा में पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन कि[illegible] किए जाने हेतु उभयपक्षकारान ने सहमति दी। प्रार्थना में वर्णित भूमि का [illegible] रि[illegible]ड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थी उक्त भूमि के राजस्व रिक[illegible] अपने पिता क[illegible] नारान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:09:28 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

जगह नारायण राम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचना से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बासड़ी पटवार हल्का पोषाणा के वर्तमान भूमि खसरा न. 681/7 रकबा 2.005 है0 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम नारान के बजाय नारायण राम शुद्व/दुरूरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

28/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)
उदयपुरवाटी।

निर्णय आज दिनाक 28.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/4/23

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)
उदयपुरवाटी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:09:28 IST
Reason: SelfAttested